

22/5/18


पत्रावली CPC की धारा 89 के तहत लोक अदालत बैठक को स्थानान्तरित की जाती है। पत्रावली दिनांक 22/5/18 के स्थान पर दिनांक 29.6.18 को रायबक लोक अदालत बैठक का क्षेत्र बाँर के समक्ष प्रस्तुत हो, तदनुसार कार्य प्रवर्धित किये जायें।

सहायक कलेक्टर (SDO), बीहड़न

29.6.18

पत्रावली काज राजस्थान लोक अदालत न्याय कौशल डार 2018 के कैंप बाँर के क्षेत्र हुई। यहाँ कैंप उपर। यहाँ के राजीनामा पत्रों पर निवेदन किया कि उक्त वाद प्रारंभ किये जाने में विवाद न होने के कारण विद्रो परमाणु नहीं। कृता इस कैंप में कामकाज कार्यवाही इला शहर पर समाप्त की जाती है। पत्रावली फिलाल सुमार डारक 4 दिनांक दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
बीहड़न



उपखण्ड अधिकारी
रायबक (बाँर)